# संगठन का सतत् प्रवाह

उच्च शिक्षा क्षेत्र में 25 दिसम्बर, 1956 एक महत्वपूर्ण घटना थी जब जयपुर में स्थित महाराजा कॉलेज में आयोजित विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षकों के एक सम्मेलन में इस शिक्षक संघ की स्थापना हुई। संघ की स्थापना में प्रो. मथुरालाल शर्मा, प्रो. एस. डी. देराश्री, प्रो. वी. वी. जॉन जैसे कर्मठ, ख्यातिनाम, समर्पित मूर्धन्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संघ उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के सभी शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन तथा सेवा शर्तों में सुधार हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। संघ के जीवन काल में यद्यपि अनेक बार कुछ उतार चढ़ाव आये किन्तु विकास की गति रुकी नहीं। संघ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों के हितों का संरक्षण करते हुए योग्य शैक्षिक वातावरण निर्माण में लगा हुआ है।

**वार्षिक अधिवेशन :-** संघ का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पहला अधिवेशन 1957 में जयपुर के महाराजा कॉलेज में सम्पन्न हुआ। प्रारंभ के वर्षों में संघ के अधिवेशन जयपुर में ही सम्पन्न हुए। जैसे-जैसे शिक्षकों का सहभाग बढ़ता गया वैसे-वैसे प्रान्त के विभिन्न शहरों में वार्षिक अधिवेशन आयोजित होने लगे। प्रारंभ में थोड़ी संख्या में शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने आते थे, धीरे-धीरे बड़ी संख्या में शिक्षक अधिवेशनों में भाग लेने लगे हैं। संघ की स्थापना के बाद से प्रत्येक वर्ष अधिवेशन हो रहे हैं, संघ के वार्षिक अधिवेशनों में पदाधिकारियों के चुनाव की परम्परा रही है। इस परम्परा का निर्वाह 1982 के अधिवेशन तक होता रहा। गंगानगर में सम्पन्न इस अधिवेशन से द्विवार्षिक चुनावों की परम्परा प्रारम्भ हुई। यद्यपि प्रतिवर्ष अधिवेशन की परम्परा कुछ अपवादों को छोड़कर जारी रही। संघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री पद को प्रो. एम. बी. माथुर, प्रो. एस. डी. देराश्री, प्रो. वी. वी. जॉन, प्रो. एन. एम. कोठारी, प्रो. एल. पी. वैश्य, प्रो. एच. सी. रारा, प्रो. आर. एन. चौधरी, प्रो. पी. एल. चतुर्वेदी, प्रो. ए. बी. माथुर, डॉ. धर्मचन्द जैन, डॉ. संतोष पाण्डेय, डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, प्रो. धर्मचन्द, प्रो. जे. पी. सिंघल जैसे निष्ठावान प्रतिष्ठित शिक्षक सुशोभित कर चुके हैं। इसी कड़ी में सैकड़ों कार्यकर्त्ता संगठन को सुदृढ़ बनाने में आज भी कार्यरत है। संगठन की स्वर्णिम यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रत्येक महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं।

**देराश्री व्याख्यान** - सन् 1972 में प्रो. एस. डी. देराश्री की स्मृति में वार्षिक अधिवेशन में एक व्याख्यान माला प्रारंभ हुई। इस प्रतिष्ठित व्याख्यान माला हेतु देश के मूर्धन्य विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। डॉ. प्रभुलाल भटनागर (भूतपूर्व कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय), डॉ. जी. एस. महारजनी (पूर्व कुलपति उदयपुर वि. वि.) प्रो. वी. वी. जॉन (पूर्व कुलपति जोधपुर वि. वि.), डॉ. सतीशचन्द्र (पूर्व अध्यक्ष यू.जी.सी.) सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी. एन. भगवती, पूर्व न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा, प्रो. रामबली उपाध्याय (पूर्व कुलपति अजमेर वि. वि.), प्रो. बी. एस. शर्मा, प्रो. अशोक मेहता, प्रो. पी. एल. चतुर्वेदी (पूर्व कुलपति अजमेर विश्वविद्यालय), प्रो. ओ. पी. कोहली पूर्व सांसद, प्रो. सुरेश्वर शर्मा (पूर्व कुलपति जबलपुर), प्रो. अशोक शर्मा रा. वि. वि. जयपुर, प्रो. के. नरहरी, डॉ.

विमलप्रसाद अग्रवाल (पूर्व अध्यक्ष राज. मा. शि. बोर्ड), डॉ. एम. एल. छीपा (पूर्व कुलपति अजमेर विश्वविद्यालय) प्रो. बी. एल. शर्मा (पूर्व कुलपति भावनगर विश्वविद्यालय), प्रो. संतोष पाण्डेय (सम्पादक शैक्षिक मंथन) प्रो. जीवनलाल माथुर (पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड), प्रो. जी. डी. माथुर (पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड), प्रो. अशोक शर्मा, (पूर्व अध्यक्ष लोक प्रशासन विभाग राज. विश्वविद्यालय जयपुर), डॉ. बी. एल. चौधरी (पूर्व कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर), डॉ. एम. एल. कालरा (पूर्व कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, कोटा), प्रो. ए. डी. एन वाजपेई (पूर्व कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर), प्रो. ब्रजकिशोर कुठियाला (कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल) आदि श्रेष्ठ विद्वान अब तक इस व्याख्यानमाला में शिक्षकों को मार्ग दर्शन प्रदान कर चुके हैं।

**शैक्षिक संगोष्ठी :-** शैक्षिक उन्नयन तथा सामाजिक दायित्व बोध की दिशा में भी संघ सदैव प्रयत्नशील रहा है। इस दृष्टि से समसामयिक विषयों पर संघ द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी व कर्मशील महानुभावों को भी इन संगोष्ठियों में आमंत्रित किया जाता रहा है। अब तो संगोष्ठी अधिवेशनों का अनिवार्य अंग बन गई है। डॉ. मोहनसिंह मेहता, डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. आर. एन. चौधरी, डॉ. एन. एम. कोठारी, डॉ. आर. सी. मेहरोत्रा, प्रो. ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रो. टी. एन. भारद्वाज, प्रो. जीवनलाल माथुर, डॉ. आर. के. राय, प्रो. संतोष पाण्डेय, डॉ. जी. डी. माथुर, श्री शिव किशोर सनाढय, प्रो. जे.पी. सिघल, प्रो. धर्मचन्द, प्रो. वासुदेव देवनानी, डॉ. पी. एल. चतुर्वेदी, डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल, प्रो. लोकेश कुमार शेखावत, डॉ. एम. आर. कालरा, डॉ. फूलचन्द भिण्डा, श्री रविकुमारजी, जैसे बहुत से कर्मयोगियों का मार्गदर्शन इन संगोष्ठियों के माध्यम से मिल चुका है।

**शैक्षिक प्रकाशन :-** शैक्षिणिक उन्नयन के क्रम में संघ की **सोशियल रेस्पांसिबिलिटीज ऑफ टीचर्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स** नामक दो पुस्तकें प्रकाशित है।

**आचार संहिता :-** सन् 1972 के अधिवेशन में संघ देश का प्रथम संगठन बना जिसने शिक्षकों के लिए आचार संहिता का निर्माण कर अधिवेशन में स्वीकृत करवाया।

**शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार :-** संघ सदैव शिक्षकों के हितों की रक्षा तथा सेवा शर्तों में सुधार की दशा में प्रयत्नशील रहा है। जागरूकता तथा निरन्तर प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप समय-समय पर उत्पन्न अधिकांश समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में संघ सफल रहा है।

**एक उत्तरदायी संस्था :-** रुक्टा-राष्ट्रीय शिक्षक हित चिंतन के साथ-साथ शिक्षा के उन्नयन के प्रति सदैव ही प्रयत्नशील रहा है। सामाजिक सरोकारों के साथ भी तादातम्य का प्रयास किया है। इसे दृष्टिगत कर ही रुक्टा (राष्ट्रीय) संभवत: देश का एक मात्र प्रतिनिधि शिक्षक संगठन है, जिसने ब्यावर में अपने 28वें प्रान्तीय अधिवेशन में शिक्षकों के लिए आचार संहिता स्वीकार कर शिक्षकों को स्वयं निर्धारित अनुशासन में बांधा। शिक्षक समाज ने इसे व्यापक रूप में स्वीकार कर इसे पालन में लाया। प्रत्येक प्रांतीय

अधिवेशन के अवसर पर शिक्षा के किसी न किसी विशिष्ट पहलू पर ध्यान देते हुए शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। प्रदेश भर से आये शिक्षकगण विषय पर गंभीर मनन कर एक राय निश्चित करते हैं एवं राज्य सरकार व विश्वविद्यालयों को प्रेषित करते हैं। शैक्षिक वर्ष में 180 शिक्षण दिवस का कलैण्डर, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों का प्रशासन में सहयोग, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सहशैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षकों का योगदान, पाठ्यक्रमों में परिवर्तन एवं सुधार, गैटस के अन्तर्गत सेवा व्यापार एवं शिक्षा, विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारत के शैक्षिक जगत पर प्रभाव, भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता व उच्च शिक्षा के उन्नयन में सूचना प्रोद्योगिकी की उपादेयता जैसे विषयों पर शिक्षकों के मत से सरकार को अवगत कराया गया है। इन्हीं शैक्षिक संगोष्ठियों के आधार पर रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से दो पुस्तकों **प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स** तथा **सोशियल रेस्पांसबिलिटीज आफ टीचर्स** का प्रकाशन किया गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर रुक्टा (राष्ट्रीय) की सभी इकाइयों में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंदजी के जन्मदिवस 12 जनवरी से नेताजी सुभाषचन्द्रजी बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी के बीच कर्त्तव्य बोध एवं संकल्प दिवस मनाया जाने लगा है। इस दिन शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु संकल्प लेते हैं एवं युवा शक्ति को रचनात्मक प्रवृतियों हेतु प्रेरित करने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों के साथ-साथ संगठन की विभिन्न इकाईयों द्वारा सेमिनार व संगोष्ठियों का आयोजन, सामाजिक विषयों पर किया जाता रहा है। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक नव-संवत्सर समारोह पूर्वक मनाया जाता है, इस अवसर पर शहर के चौराहे को सजाया जाता है। संगोष्ठी व सेमिनार का आयोजन कर इस दिन के महत्त्व पर प्रकाश डाला जाता है। संगठन की विभिन्न इकाईयाँ महाविद्यालय स्तर पर महापुरुषों की जयन्तियाँ मनाती हैं। देश में छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या पढ़ाया जाना चाहिए? इस दिशा में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का क्या योगदान हो सकता है, इन सभी पक्षों को लेकर जन जागरण अभियान 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2006 तक सम्पूर्ण राज्य में चलाया गया। इस हेतु एक पत्रक तैयार किया गया, जिसमें देश के पाठ्यक्रमों में किस प्रकार भ्रामक एवं विकृतिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, की ओर इंगित करते हुए सुझाव दिये गये कि हमारे पाठ्यक्रमों में किन तथ्यों, घटनाओं, इतिहास तथा देश व समाज की उपलब्धियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, पत्रक में शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा किस प्रकार का सहयोग सुनिश्चित किया जाये, को इंगित किया गया। सामाजिक समरसता, राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रमों में शिक्षक वर्ग बड़ी संख्या में भाग लेते है तथा इस हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जनजागरण अभियान का संचालन शिक्षक वर्ग करता है। सामाजिक सरोकारों हेतु शिक्षक कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये जाते हैं। शिक्षक कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु अभ्यास वर्ग लगाये जाते हैं।

**शिक्षकों के हित वर्द्धन हेतु प्राप्त सफलतायें :-** रुक्टा (राष्ट्रीय) शिक्षक वर्ग की सेवा शर्तों में समयानुकुल परिवर्तन कराने तथा समाज में शिक्षकों को अन्य वर्गों के समान सुविधायें एवं समान दिलाने

हेतु प्रयत्नशील रहा। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप अनेक बड़ी सफलतायें प्राप्त हो सकी। इनमें प्रमुख रूप से राज्य के विश्वविद्यालयी शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतन (1966) तथा महाविद्यालयी शिक्षकों को राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के समान वेतन प्राप्त हुआ। राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम बनवाये एवं संशोधित करवाये गये हैं।

राजस्थान, जोधपुर एवं उदयपुर विश्वविद्यालयों में संघटक महाविद्यालय बनने पर शिक्षकों का समायोजन किया गया। 1973 से महाविद्यालय शिक्षकों को राज्य के वेतनमानों से पृथक कर यू.जी.सी. के वेतनमानों से जोड़ा गया तथा 1986, 1996 व 2006 में यू.जी.सी. वेतनमानों को प्रभावी बनाने में सफलता प्राप्त हुई। संगठन के प्रयासों से ही 1986 व 1998 की कॅरियर एडवांसमैंट योजना का लाभ शिक्षक वर्ग को प्राप्त हो सका है। ये वेतनमान एवं कॅरियर एडवांसमैंट योजना निजी अनुदानित महाविद्यालयों में भी लागू की गई है। 1960 के दशक से राज्य सरकार से अनुदान नीति बनाकर निजी महाविद्यालयों को नियमित अनुदान की व्यवस्था कराने में भी रुक्टा (राष्ट्रीय) सफल रही। इससे पहले केरियर एडवांसमैंट योजना के लागू होने से पूर्व राजकीय महाविद्यालयों के लिए पदोन्नति योजना लागू कराने में भी सफलता मिली। गैर राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, वेतन भुगतान, वेतनमान, सेवानिवृत्ति लाभों इत्यादि की वैधानिक व्यवस्था हेतु 1973 में ही रुक्टा राष्ट्रीय ने प्रयास प्रारंभ किये। इन्हीं प्रयासों से 1989 गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम एवं सेवा शर्तें विधेयक अधिनियम बना तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को 1993 से प्रभावी बनाया गया। इससे सभी अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वैधानिक सुरक्षा प्राप्त हुई, विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी नियुक्तियों हेतु नीति तैयार कराने एवं राज्य सरकार से स्वीकृत कराने में सफलता मिली। परन्तु अनेकानेक कारणों से चयन प्रक्रिया में व्यवधान आने से अस्थायी शिक्षकों की संख्या व समस्या बढ़ी। संगठन के प्रयासों से 1983-84 में विश्वविद्यालयों, 1995 में राजकीय महाविद्यालयों के अस्थायी शिक्षकों तथा 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थाई शिक्षकों के नियमितीकरण की महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य सरकार ने दिनांक 12-10-2009 के आदेश के तहत नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों की घोषणा की। आदेश के अनुसार ये वेतनमान राजकीय महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विधि के शिक्षकों, कॉलेज शिक्षा में निदेशक, संयुक्त निदेशक उपनिदेशक पुस्कालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों के लिए प्रभावी होंगे। उल्लेखनीय है कि रुक्टा (रा) ने नवीन यू.जी. सी. वेतनमानों को शीघ्र लागू कराने के लिए विधान सभा पर 20 जुलाई 2009 को प्रदर्शन किया था। नवीन यू.जी.सी. में सभी पात्र शिक्षकों को पे-बैंड चार का लाभ के आदेश 30 नवम्बर 2009 को जारी किये गये। राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2009 को आदेश जारी कर विश्वविद्यालय शिक्षकों को व अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों को 1-1-2006 में नवीन यू.जी.सी. वेतनमान लागू करने के आदेश जारी किये। दिनांक 22-4-2010 को जारी आदेश में शारीरिक शिक्षकों व पुस्तालयाध्यक्षों को पे-बैंड 4

का लाभ प्रदान किया गया। इसी प्रकार 1 जनवरी 1996 से जुलाई 1998 के बीच वरिष्ठ व चयनित वेतनमान प्राप्त शिक्षकों के प्रकरण में स्पष्टीकरण आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये गये। संगठन के प्रयासों के कारण ही नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों की विसगतियाँ दूर हुई।

अनुदानित महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के वेतन, वेतनवृद्धियाँ एवं कॅरियर एडवांसमेंट योजना में प्रबंधन एवं सरकार के द्वारा देरी करने, कम देने या नहीं देने जैसी समस्याओं के चलते संगठन द्वारा सरकार पर इन प्राध्यापकों के अधिकारों के समुचित संरक्षण हेतु निरन्तर दबाव डाला गया। संगठन द्वारा इन प्राध्यापकों के राजकीय सेवा में समायोजन की मांग को लेकर 2010 में सचिवालय के बाहर धरना भी दिया। अन्ततः संगठन के दबाव एवं प्रयासों के चलते 2011 में अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं 2012 में अनुदानित कृषि शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षण अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन आदेश सरकार को जारी करने पड़े। राजकीय महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों की सेवाओं का नियमितीकरण हो चुका है।

**सफलतायें प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयास :-** रुक्टा राष्ट्रीय वार्ता एवं नियमित संवाद द्वारा ही समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयत्नशील रहा है। परन्तु अनेक बार जनमत बनाने, सरकार की तंद्रा तोड़ने हेतु विवश किये जाने पर आन्दोलन भी करने पड़े हैं। इनमें धरना, सामूहिक उपवास, क्रमिक भूख हड़ताल, जनप्रतिनिधियों से परस्पर सम्पर्क, ज्ञापन प्रस्तुतिकरण, विधान सभा पर प्रदर्शन, सचिवालय पर प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को अपनाया गया। 1973 में पहली बार संगठन ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश का कार्यक्रम अपनाया। 1974 में राज्य के शिक्षा मंत्री के आवास पर 33 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की गई। यू.जी.सी. वेतनमानों की मांग को लेकर राज्य में परीक्षा कार्यों का बहिष्कार किया गया तथा हजारों की संख्या में शिक्षकों का सामूहिक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मिलने विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री आवास (सिविल लाईंस) गया। 1984 में सेवा सुरक्षा की वैधानिक व्यवस्था हेतु सिविल लाईन्स के बाहर अनेक दिवसों की क्रमिक भूख हड़ताल की गई। 1987 में यू.जी.सी. वेतनमानों के क्रियान्वयन हेतु 37 दिनों तक सामान्य हड़ताल की गई। 4 अगस्त 1978 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर, रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रांतीय कार्यकारिणी, क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष, सचिव व सक्रिय कार्यकर्ताओं ने जयपुर में सचिवालय (स्टैच्यू सर्कल) पर यू.जी.सी. वेतनमानों के क्रियान्वयन व अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। 11 अक्टूबर 1999 को यू.जी.सी. वेतनमान के क्रियान्वयन, एम. फिल., पीएच.डी. की अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ, अनुदानित महाविद्यालयों में वेतन नियतन व अन्य शिक्षक समस्याओं को लेकर सचिवालय पर धरना दिया गया। 22 जुलाई 2000 को कॉलेज शिक्षा निदेशालय पर अनुदानित महाविद्यालयों के वेतन नियतन कार्य में विलम्ब व अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया। 6 नवम्बर 2000 को यू.जी.सी. वेतनमानों के अन्तर्गत बकाया भुगतान, अनुदानित महाविद्यालय में वेतन निर्धारण में विलम्ब व केरियर एडवान्समेंट योजना पर आदेश जारी करने में विलम्ब, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में विधान सभा के समक्ष धरना दिया गया। 21 नवम्बर

2001 को अनुदानित महाविद्यालयों को पूर्ण अनुदान देने, कोषागार से भुगतान की व्यवस्था करने, अनुदानित महाविद्यालयों के यू.जी.सी. वेतनमान देने में विलम्ब होने, कॅरियर एडवासमैंट योजना का लाभ इन महाविद्यालयों को देने आदि विषयों को लेकर विधान सभा पर प्रदर्शन किया गया। 18 नवम्बर 2002 को कॉलेज शिक्षा निदेशालय के समक्ष धरना दिया व सामूहिक उपवास किया गया। प्रमुख मांगे-विभागीय पदौन्नति बैठक सम्पन्न कराने, यू.जी.सी. वेतनमान में निहित स्टेपिंग अप व्यवस्था का लाभ प्रदान करने, ओरियेन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स की बाध्यता में यू.जी.सी. के निर्देशानुसार छूट देने आदि विषयों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। 22 अगस्त 2003 को शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निवारण नहीं होने के कारण महाविद्यालयों में विरोध दिवस मनाया गया व जन प्रतनिधियों को ज्ञापन देकर उसे मुख्यमंत्री को प्रेषित करने का आह्वान किया गया। 19 अप्रेल 2005 को विधान सभा पर प्रदर्शन किया गया, प्रमुख मांगे इस प्रकार थी - वरिष्ठ व चयनित वेतनमानों में पूर्व सेवा का लाभ, इस संबंध में की जा रही कानूनी कार्यवाही को रोकने, निदेशक पद पर महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को लगाने, अनुदानित महाविद्यालयों को सी.ए. एस. योजना के साथ अनुदान देने व अन्य विषयों को लेकर विधान सभा पर प्रदर्शन किया गया। 20 जुलाई 2009 को यू.जी.सी. वेतनमान लागू करने में राज्य सरकार द्वारा अपनायी जा रही विलम्बकारी नीतियों के प्रति विरोध एवं रोष प्रकट करने के लिए राज्य विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के दौरान संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री व अन्य ने मुख्यमंत्रीजी से भेंट कर यू.जी.सी. वेतनमानों पर निर्णय में हो रहे विलम्ब से शिक्षकों में व्याप्त आशकांओं व रोष से अवगत कराया। इन वेतनमानों के लिए गठित समिति के निर्णय का विरोध किया गया व आग्रह किया गया कि नवीन यू.जी.सी. वेतनमान तुरन्त लागू किया जाय। संगठन ने राज्य के विधायको से व्यापक सम्पर्क कर नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों की शीघ्र घोषणा के लिए सहयोग मांगा, इसी क्रम में 12 जुलाई 2009 को नेता प्रतिपक्ष श्रीमती वसुन्धरा राजे जी से वार्ता की। 20 जुलाई 2009 को शिक्षकों की मांगों की गूंज विधान सभा में रही। राज्य सरकार ने नई सराकर के गठन के समय प्रतिबद्धता प्रकट की थी कि दुर्भावना से स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे, परन्तु इसके विपरीत चुनाव आचार सहिता के चलते 207 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये। अतः शिक्षक संगठन ने विरोध प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर 30 दिसम्बर 2009 को प्रदर्शन रखा। 26 नवम्बर 2010 सचिवालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्रीजी को दिये गए ज्ञापन में महाविद्यालय शिक्षकों के यू.जी.सी. के निर्णयानुसार पदनाम परिवर्तन पर निर्णय नहीं करने तथा महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदों के सृजन पर सरकार के मौन, अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय सेवा में समायोजन के आदेश शीघ्र जारी करने, अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को पाँचवें व छठे वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमानों व कॅरियर एडवांसमैंट योजना लागू करने में विलम्ब, नियमित व पूर्ण भुगतान नहीं होने, गैर अनुदानित शिक्षकों को नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने व सेवा शर्ते निर्धारित करने, पीएच.डी., एम.फिल. उपाधिधारियों को नियमानुसार स्वीकृत अतिरिक्त वेतनवृद्धियों की अनुचित पुनर्वसूली पर रोक

लगाने तथा वेतन निर्धारित करने, बड़ी संख्या में प्राचार्यों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों व न्यायालयों में अनेकानेक कारण से लंबित प्रकरणों में वेतन निर्धारित करने, सेवानिवृत शिक्षकों को यथासमय पैंशन निर्धारण सुनिश्चित करने के साथ-साथ सेवानिवृत शिक्षकों का नवीन वेतनमानों के अनुरूप पैंशन पुन: निर्धारित करने, नियमित रूप से चयनित एवं परिवीक्षा के प्रारंभ से ही पूर्ण वेतन व वेतनमान प्रदान करने, अवकाश व अन्य लाभ प्रदान करने तथा इसे दो वर्ष के सेवा काल को पैंशन सेवा में सम्मिलित करने संबंधी बिन्दुओं को शामिल किया गया है। साथ ही रुक्टा राष्ट्रीय के पदाधिकारियों व सक्रिय शिक्षक कार्यकताओं के दुर्भावनापूर्ण स्थानान्तरणों को पूर्व में दिये गये आश्वासनों के अनुरूप राहत प्रदान करने संबंधी बिन्दु को भी ज्ञापन में लिया गया। इस के अतिरिक्त आयुक्तालय व महाविद्यालय स्तर पर उपस्थित समस्याओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। इस प्रकार विवश किये जाने पर संगठन ने बड़े आन्दोलनों का भी सफलता पूर्वक संचालन किया है। 15 मई से 30 जून 2009 की अवधि में राज्य के 170 विधायकों से सम्पर्क कर मुख्यमंत्रीजी को यू.जी.सी. वेतनमानों पर संगठन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया। 20 जुलाई 2009 को विधायक कालीचरण सर्राफ, विधायक श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, विधायक डॉ. दिगम्बर सिंह व विधायक डॉ. फूलचन्द भिण्डा ने विधान सभा में शिक्षकों के यू.जी.सी. वेतनमान के विषय को उठाया। 5 नवम्बर 2009 मुख्यमंत्रीजी को यू.जी.सी. वेतनमानों की विसंगतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन दिया। समय-समय पर उच्च शिक्षा मंत्री, आयुक्त कॉलेज शिक्षा को ज्ञापन देकर यू.जी. सी. के सम्पूर्ण पैकेज को लागू करने की मांग की गई। 14 मार्च 2011 को शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विधान सभा सदस्य व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी व प्रो. फुलचन्द भिण्डा ने शिक्षकों की लम्बित समस्यों पर प्रश्न उठायें। जुलाई 2012 में राज्य की लगभग सभी इकाईयों ने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिये जिसमें शिक्षकों की विभिन्न लम्बित मांगे थी ज्ञापन को मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित करने का आग्रह किया। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर कुलाधिपति, कुलपुति, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखे। महामंत्री ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, निदेशक कॉलेज शिक्षा को ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया। महामंत्री ने राज्य के सभी विधायकों को भी ज्ञापन भेजकर लम्बित विषयों पर सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सूचनाओं का त्वरित गति से संप्रेषण हो, इस उद्देश्य के लिए संगठन की वेबसाईट **www. ructarashtriya.org** बनवाई गयी, संगठन की इस वेबसाईट का उद्घाटन 49वें प्रांतीय अधिवेशन 14-15 मई 2011 को बीबीरानी (अलवर) में किया गया। संगठन के सदस्यों व सरकार के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु संगठन का **Email-info@ructarashtriya.org** वेबसाइट व **Email** के माध्यम से सभी सदस्य परस्पर व कही भी बैठकर सम्पर्क कर सकते हैं। संगठन भी अपनी समस्त गतिविधियों को इस माध्यम से सदस्यों तक

पहुचाता है। राज्य व केन्द्र सरकार व अन्य संगठनों संस्थाओं से भी इस माध्यम से सम्पर्क व्यवहार होता है वेबसाइट का उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद श्री कसानसिंह सोलंकी, पूर्व गृहमंत्री व विधायक श्री गुलाबचन्द कटारिया, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, प्रो. ब्रजकिशोर कुठियाला, विधायक श्री रामहेत यादव, विधायक श्री बनवारीलाल सिंघल, संगठन के अध्यक्ष डॉ. ग्यारसीलाल जाट व महामंत्री डॉ. मधुर मोहन रंगा उपस्थित रहें। इसी अधिवेशन से एक नवीन परम्परा प्रारम्भ की गई, प्रांतीय अधिवेशन जिस संभाग में आयोजित होता है वहाँ के सेवा निवृत शिक्षकों का संगठन द्वारा सम्मान।

प्रत्येक संगठन का उद्देश्य उसके प्रतीक चिह्न में निहित होता है, अतः संगठन के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण 50वें प्रांतीय अधिवेशन 14-15 जनवरी 2012 को कोटा में सम्पन्न हुआ, संगठन का ध्येय वाक्य **संहतिः कार्यसाधिका** है। इस अवसर पर विधायक व पूर्व मंत्री श्री घनश्याम जी तिवाड़ी, प्रदेश भा.ज.पा. अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, प्रो. जे.पी. सिंघल, डॉ. ग्यारसीलाल जाट, डॉ. मधुर मोहन रंगा उपस्थित रहें।

आज रुक्टा (राष्ट्रीय) गत अनेक अनेक वर्षों से 4500 शिक्षकों की सदस्यता निरन्तर प्राप्त कर शिक्षकों का विश्वास बनाये रखने में समर्थ रहा है। रुक्टा (राष्ट्रीय) लगभग सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों में स्थानीय इकाइयों के रूप में सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर संगठन की 13 विभागीय समितियों के माध्यम से स्थानीय इकाइयों से सम्पर्क एवं संवाद बनाने में योग देते हैं एवं समन्वय स्थापित करते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकोष्ठों के माध्यम से रुक्टा (राष्ट्रीय) विशिष्ट वर्ग के शिक्षकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देता है। सदस्यों से सम्पर्क हेतु व्यापक प्रवास कार्यक्रम एवं विभागीय सम्मेलनों का सहारा लिया जाता है। प्रत्येक सदस्य से संवाद हेतु रुक्ट (रा) के नवोन्मेष नाम से परिपत्र लगभग प्रतिमाह जारी किया जाता है। शिक्षकों में व्यापक समर्थन एवं विश्वास आधार पर ही रुक्टा (रा) सरकार व विश्वविद्यालयों एवं अन्य पक्षों के समक्ष दृढ़ता पूर्वक अपना मत प्रस्तुत करता रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध संगठन है। रुक्टा (राष्ट्रीय) का स्वर्णिम सफर जारी है।